बिड संख्या/Bid Number: GEM/2026/B/7619164
दिनांक /Dated: 03-06-2026

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	15-06-2026 15:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	15-06-2026 15:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	15 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Chhattisgarh
विभाग का नाम/Department Name	Women And Child Development Department Chhattisgarh
संगठन का नाम/Organisation Name	N/a
कार्यालय का नाम/Office Name	494002
शिकायत निवारण के संपर्क विवरण/ Contact details of Grievance redressal	neelam.dewangan@cg.gov.in
वस्तु श्रेणी /Item Category	Financial Audit Services - Audit report, utilization certificate; Audit Firm, CA Firm
अनुबंध अवधि /Contract Period	1 Month(s) 15 Day(s)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेनू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	Yes (Documents submitted as part of a clarification or representation during the tender/bid process will also be displayed to other participated bidders after log in)
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	3

बिड विवरण/Bid Details	
दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
अनुमानित निविदा मूल्य (सभी करों सहित) भारतीय रुपये में / Estimated Bid Value in INR (Inclusive of all taxes)	200000
Payment Timelines	Payments shall be made to the Seller within **15** days of issue of service delivery acceptance certificate (SDAC) and on-line submission of bills (This is in supersession of 10 days time as provided in clause 12 of GeM GTC)
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मूल्य दर्शाने वाला वित्तीय दस्तावेज ब्रेकअप आवश्यक है / Financial Document Indicating Price Breakup Required	Yes
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

आवश्यकता/Required	No

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	No

Limited Tender

Limited Tender Applicable	Yes
Reason	The competent authority in the Ministry or Department has certified that the demand is urgent, and any additional expenditure involved by not procuring through advertised tender enquiry is justified in view of urgency. The Ministry or Department has placed on record the nature of the urgency and reasons why the procurement could not be anticipated.
List of Seller Organization for participation	***************, ***************, ***************

1. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required

Number of Years of firm/company'sexistence as per ICAI certificate:NA

Number of years of experience as on date of which at least XX years should be in internal/external audit of companies, PSUs and centrally funded institutions.:5 years

Number of full-time partners/experienced and qualified professionals in full time employment at senior level with experience in handling similar or relevant projects:2

Number of partners/ qualified professionals in full time employment with DISA/CISA qualification:0

Number of XX fulltime CA's required and YY professional audit staff:4

Price Breakup Format for the bidders to upload for providing break-up of overall project cost:1780495876.pdf

Financial Audit Services - Audit Report, Utilization Certificate; Audit Firm, CA Firm (1)

तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Scope of Work	Audit report , utilization certificate
Type of Financial Audit Partner	Audit Firm , CA Firm
Type of Financial Audit	Statutory Audit

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
Category of Work under Financial Audit	Audit of financial statements , Compliance with law & regulations
Type of Industries/Functions	Cash and Bank Balance , Payables , Receivables , Sales, Services and Revenue , Purchase & Procurement , Fixed assets, depreciation and amortisation , Operational & Administrative
Frequency of Progress Report	Monthly
MIS Reporting for Financial Audit support	Yes
Frequency of MIS reporting	Monthly
State	NA
District	NA
एडऑन /Addon(s)	
Post Financial Audit Support	NA

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer	No

अतिरिक्त विशिष्टि दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

---

परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.No.	परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	Quantity	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Neelam Dewangan	492002,Directorate of Women and Child Development, 2nd Floor, Block-A, Indravati Bhawan, Nawa Raipur Atal Nagar	Project / Lumpsum Based	N/A

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

OPTION CLAUSE 25% : The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, the contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration.
For lumpsum-based service contracts, the buyer may increase the scope of work and contract value up to 25 percent with the consent of the service provider

2. **Service & Support**

   AVAILABILITY OF OFFICE OF SERVICE PROVIDER: An office of the Service Provider must be located in the state of Consignee. DOCUMENTARY EVIDENCE TO BE SUBMITTED.

3. **Generic**

   1. The Seller shall not assign the Contract in whole or part without obtaining the prior written consent of buyer.
   2. The Seller shall not sub-contract the Contract in whole or part to any entity without obtaining the prior written consent of buyer.
   3. The Seller shall, notwithstanding the consent and assignment/sub-contract, remain jointly and severally liable and responsible to buyer together with the assignee/ sub-contractor, for and in respect of the due performance of the Contract and the Sellers obligations there under.

अस्वीकरण/Disclaimer

The Additional Terms and Conditions (ATC) have been incorporated by the Buyer after approval of their Competent Authority. The Buyer ,is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any restriction arising in the bidding process due to these ATCs and including the modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid.All representations / grievances pertaining to the ATC clauses shall be raised with the buyer organization directly and not with GeM.If any of the clause(s) is/are incorporated by the Buyer regarding the following, the bid & resultant contract shall be treated as null & void. Further, GeM reserves the right, at its sole discretion, to cancel the bid forthwith, without issuance of any prior notice or intimation :-

1. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available (unless such Custom / BOQ item is bunched with the major regular product Category Item).
2. Mandating procurement of / from specific Brand / Make / Model / Manufacturer / Dealer except in case of Single Bid / Proprietary Article Certificate (PAC) Buying.
3. Inclusion of disqualification criteria related to suspension of seller / service provider, where such suspension period has already expired.
4. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
5. Publishing bids on GeM for procurement of works.
6. Procurement of Goods by creating a Service bid on GeM & vice-versa.
7. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. However, trial / sample, as the case may be, shall be permitted in cases where trial / sample are allowed as per approved and published procurement policy of the Buyers’ controlling Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters. If there is any violation of trial / sample clause with regard to approved policy of the Buyers’ Ministry / Department / State / Public Sector Enterprises Headquarters, then this is to be determined and redressed by the concerned Buyer Organisation only.
8. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
9. Creating bid for items from incorrect categories.
10. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
11. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee, as the case may be.
12. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined in bid detail section, including specifications, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by the applicable GeM GTC.
13. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii) (h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1

bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.

14. In a category based bid, adding additional items, through buyer added, additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogues or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to the Service, as the case may be, as provided in the Marketplace.

However, in case of Service, if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement specific to said Service, then it will over-ride the conditions in the General Terms and Conditions.

This Bid is governed by the सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions, conditions stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---

फर्म द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य संबंधी मुख्य बिन्दु

प्रस्तावनाः–

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य है बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना जिसकी अवधारणा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में दी गई है ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास और कल्याण अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सकें।

सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य बाल संरक्षण समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति का कार्यालय, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग ब्लॉक–01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) में स्थित है।

राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति गठित है जो मिशन वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है।

फर्म द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य

1) वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जिला बाल संरक्षण समिति समस्त एवं जिलों में संचालित शासकीय बाल देखरेख संस्था समस्त का वैधानिक अंकेक्षण, उपरोक्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों का समेकन करते हुए राज्य बाल संरक्षण समिति का वैधानिक अंकेक्षण।
2) राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति समस्त एवं जिलों में संचालित शासकीय बाल देखरेख संस्था समस्त की बैलेंस शीट, आय व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, बैक समाधान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना/ सत्यापन करना।
3) भारत शासन को भेजे जाने वाले राज्य बाल संरक्षण समिति के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तैयार करना/सत्यापन करना।
4) मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिलो में संचालित अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तथा बिल वाउचर इत्यादि का मिशन वात्सल्य योजना के गाईड लाईन में निर्धारित मापदंडो के अनुसार मिलान/सत्यापन करना।
5) वैधानिक अंकेक्षण पूर्ण होने के बाद, अंकेक्षण टीप/पृच्छाओं पर संबंधित प्रभारी अधिकारी से चर्चा एवं कार्यवाही बिन्दुओं पर अनुपालन उपरांत अंतिम वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना।
6) महालेखाकार छत्तीसगढ़ की टिप्पणियो के अनुपालन में उत्तर तैयार करना।
7) छत्तीसगढ राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी समिति/आमसभा में ऑडिट रिर्पोट का प्रस्तुतीकरण।

अंकेक्षण कार्य के दायरे में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

1. निधि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस हेतु दिया गया है एवं व्यय/उपयोग समस्त वित्तीय मापदण्डों का पालन करते हुए मितव्ययिता एवं दक्षता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
2. निधि के उपयोग में भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सुसंगत निर्देशों का पालन किया गया है।
3. कार्यक्रम में किये गये व्यय को समर्थित करते हुए समस्त दस्तावेज व अभिलेख संस्था में रखे गये है एवं अभिलेख व्यय से संबद्ध है।

अंकेक्षण कार्य स्थल

समस्त अंकेक्षण कार्य राज्य बाल संरक्षण समिति के इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में करना होगा। अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है कि अंकेक्षण हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख कार्यालय से बाहर उपलब्ध नहीं कराये जायेगें और न ही आडिट हेतु आदेशित संस्था को बाध्य किया जाएगा।

अंकेक्षण हेतु समय सीमा

1) राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति समस्त एवं जिलों में संचालित शासकीय बाल देखरेख संस्था समस्त की प्रारूप बैलेंस शीट, आय व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, बैक समाधान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भारत शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एव व्यय विवरण दिनांक 31.07.2026 तक प्रस्तुत करना होगा।
2) सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित अंकेक्षण प्रतिवेदन 04 प्रतियों में, साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदन की सॉफ्ट कॉपी Email पर एवं एक सी.डी. में राज्य बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करना होगा।

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 का वित्तीय अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से कराये जाने हेतु जेम पोर्टल पर सीमित निविदा आमंत्रण के माध्यम से चयन की कार्यवाही हेतु आयोजित क्रय समिति की बैठक दिनांक– 27.05.2026 का कार्यवाही विवरण

विषयांतर्गत मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति, समस्त जिला बाल संरक्षण समिति, समस्त शासकीय बाल देखरेख संस्थाएं के वैधानिक अंकेक्षण, इन संस्थाओं की बैलेंश शीट, आय व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, बैक समाधान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना/ सत्यापन, भारत शासन को भेजे जाने वाले राज्य बाल संरक्षण समिति के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तैयार करना/सत्यापन, मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिलो में संचालित अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तथा बिल वाउचर इत्यादि का मिशन वात्सल्य योजना के गाईड लाईन में निर्धारित मापदंडो के अनुसार मिलान/सत्यापन, वैधानिक अंकेक्षण पूर्ण होने के बाद, अंकेक्षण टीप/पृच्छाओं पर संबंधित प्रभारी अधिकारी से चर्चा एवं कार्यवाही बिन्दुओं पर अनुपालन उपरांत अंतिम वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार, महालेखाकार छत्तीसगढ़ की टिप्पणियो के अनुपालन में उत्तर तैयार, छत्तीसगढ राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी समिति/आमसभा में ऑडिट रिर्पोट का प्रस्तुतीकरण कार्य हेतु **CA चयन की कार्यवाही जेम पोर्टल पर सीमित निविदा के माध्यम से किये जाने हेतु क्रय समिति की बैठक दिनांक 27.05.2026 को 03.00 बजे श्री नंदलाल चौधरी, संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में आयोजित की गई** , बैठक में समिति के निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहे –

1. श्री गांधी लाल भारद्वाज, संयुक्त संचालक (वित्त)
2. श्रीमती नीलम देवांगन, उप संचालक (मिशन वात्सल्य)
3. श्रीमती शुची सुल्तानिया चावड़ा, (लेखाधिकारी)
4. श्री असीम चन्द्र दत्ता, कार्यक्रम प्रबंधक (बाल संरक्षण)
5. श्री भुवन लाल साहू, कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार)
5. श्री रामशरण चौकसे, कार्यक्रम प्रबंधक (राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण)
6. श्री मनीष क्षत्रीय, लेखाधिकारी (मिशन वात्सल्य)

02/ बैठक में समिति के सदस्यो को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधिसूचना दिनांक 10.12.2025 द्वारा जारी भण्डार क्रय नियम 2002 का अवलोकन कराया गया। भण्डार क्रय नियम 2002 के उपनियम–3.1.1 अनुसार राज्य शासन के समस्त विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएं अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुएँ एवं सेवाएँ जिनकी दरें एवं विशिष्टियाँ भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट (GeM - Government e-Marketplace) में उपलब्ध हों, का क्रय जेम वेबसाईट से 10.12.2025 करेंगे, किन्तु ऐसे क्रय के

लिये विभाग/ क्रेता कार्यालय/ अधीनस्थ संस्थाएँ जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेशिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल–1 मूल्य, आदि का निर्धारण स्वयं करेगा। विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह शासकीय कोष की मितव्ययता एवं क्रय की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। यदि राज्य शासन का कोई विभाग/क्रेता कार्यालय/अधीनस्थ संस्थाएँ इस प्रावधान से परे, इस नियमावली के नियम–4 में वर्णित प्रावधान के अनुरुप निविदा प्रणाली के माध्यम से सामग्री, वस्तुएँ एवं सेवाएँ का क्रय करना चाहे तो वे निविदा के माध्यम से सामग्री, वस्तुएँ एवं सेवाएँ क्रय कर सकेंगे, किंतु ऐसा करने के पूर्व उन्हें संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी।

2.2 भण्डार क्रय नियम के नियम–4 अनुसार शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

उपनियम 4.3.2 सीमित निविदा पद्धतिः– साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिए जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रू. 1,00,001 से 3,00,000 (रुपये एक लाख. एक से रुपये तीन लाख) 10.12.2025 तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाए, तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इसलिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा। परंतु भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट (GeM - Government e-Marketplace) में सीमित निविदा पद्धति से 05 लाख रूपये तक का क्रय किया जा सकेगा।

03/ वित्तीय वर्ष 2025–26 में मिशन वात्सल्य शाखा में सी.ए. द्वारा कराये गये वैधानिम अंकेक्षण में 1.36 लाख का व्यय हुआ है अतः जेम पोर्टल पर सीमित निविदा पद्धति के माध्यम से सी.ए. चयन की कार्यवाही के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। पोर्टल पर 03 सी.ए. फर्म को आमंत्रण भेजा जाना है विवरण निम्नानुसार हैः–

01. SPARS & Co.
Address: 402, Wallfort Ozone, Fafadih Chowk, Raipur-492001
Gem id:8Q0E250013044402

02. KPMH & Co.
Address: Plot no.102, Aishwarya Market, Daldal seoni, Mowa, Raipur-492001
Gem id: 15CE250012975143

03. VBM & Co.
Address: Shop no.211, Second floor, Lalganga business park, Pachpedin aka, Raipur-492001 Gem
Gem id: 1170250013518911

04/ वित्तीय वर्ष 2025–26 में मिशन वात्सल्य शाखा में सी.ए. फर्म द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

1) वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जिला बाल संरक्षण समिति समस्त एवं जिलों में संचालित शासकीय बाल देखरेख संस्था समस्त का वैधानिक अंकेक्षण, उपरोक्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों का समेकन करते हुए राज्य बाल संरक्षण समिति का वैधानिक अंकेक्षण।
2) राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति समस्त एवं जिलों में संचालित शासकीय बाल देखरेख संस्था समस्त की बैलेंस शीट, आय व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, बैंक समाधान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करना/सत्यापन करना।
3) भारत शासन को भेजे जाने वाले राज्य बाल संरक्षण समिति के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तैयार करना/सत्यापन करना।
4) मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिलो में संचालित अशासकीय बाल देखरेख संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण तथा बिल वाउचर इत्यादि का मिशन वात्सल्य योजना के गाईड लाईन में निर्धारित मापदंडो के अनुसार मिलान/सत्यापन करना।
5) वैधानिक अंकेक्षण पूर्ण होने के बाद, अंकेक्षण टीप/पृच्छाओं पर संबंधित प्रभारी अधिकारी से चर्चा एवं कार्यवाही बिन्दुओं पर अनुपालन उपरांत अंतिम वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना।
6) महालेखाकार छत्तीसगढ़ की टिप्पणियो के अनुपालन में उत्तर तैयार करना।
7) छत्तीसगढ राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी समिति/आमसभा में ऑडिट रिर्पोट का प्रस्तुतीकरण।

4.2 अंकेक्षण कार्य स्थल

समस्त अंकेक्षण कार्य राज्य बाल संरक्षण समिति के इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में करना होगा। अंकेक्षक को अंकेक्षण हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख कार्यालय से बाहर उपलब्ध कराया जाना प्रतिबंधित होगा, किसी भी कदाचरण के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

4.3 अंकेक्षण हेतु समय सीमा

अंकेक्षक को राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति समस्त एवं जिलों में संचालित शासकीय बाल देखरेख संस्था समस्त की प्रारूप बैलेंस शीट, आय व्यय खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता, बैंक समाधान विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भारत शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एव व्यय विवरण दिनांक 31.07.2026 तक मिशन वात्सल्य शाखा में प्रस्तुत करना होगा।

4.4 निविदाकारों हेतु अनिवार्य दस्तावेजों का विवरण :–

01. ICAI Registration Certificate
02. COP Certificate
03. GST Registration
04. PAN Card
05. अनुभव प्रमाण पत्र
06. कार्य आदेश प्रतियां
07. बैंक विवरण
08. Self Declaration (Not Blacklisted)
09 CAG Inpanel

4.5 निविदाकारों हेतु पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria) का विवरण :–

1. फर्म Institute of Chartered Accountants of India में पंजीकृत हो।
2. वैध COP एवं Membership Number होना चाहिए।
3. न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।
4. GST एवं PAN पंजीयन अनिवार्य।
5. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में अनुभव वांछनीय।
6. Blacklist न होने का घोषणा पत्र आवश्यक।
7. राज्य शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक अभिलेख।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा कण्डिका क्रमांक 03 व 04 पर उल्लेख अनुसार मिशन वात्सल्य शाखा में समस्त प्रकार के वैधानिक अंकेक्षण व भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण संबंधी कार्यवाही हेतु जेम पोर्टल पर सीमित निविदा के माध्यम से सीमित निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई, धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न की गई।

श्री नंदलाल चौधरी संयुक्त संचालक (मिशन वात्सल्य)	श्री गांधीलाल भारद्वाज, संयुक्त संचालक (वित्त)	श्रीमती नीलम देवांगन, उप संचालक (मिशन वात्सल्य)	श्रीमती शुची सुल्तानिया चावड़ा, (लेखाधिकारी)
श्री असीम चन्द्र दत्ता, कार्यक्रम प्रबंधक (बाल संरक्षण)	श्री भुवन लाल साहू, कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार)	श्री रामशरण चौकसे, कार्यक्रम प्रबंधक (राज्य दत्तकग्रहण)	श्री मनीष क्षत्रीय, लेखाधिकारी (मिशन वात्सल्य)